

झारखंड सरकार  
उद्योग निदेशालय


सं0स0 : 01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001

कार्यालय आदेश

श्री बिन्देश्वरी दास, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 के तहत उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची में सूचना अधिकार के तहत प्राप्त प्रथम अपील की सुनवाई/निष्पादन हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।


2. श्री राजीव कुमार गुप्ता, अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 के तहत उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची में जन सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा पूर्व में इससे संबंधित निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

  
(जिशन कमर)  
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक 1056 / दिनांक 21/05/2019  
01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001


प्रतिलिपि: मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना अधिकार कार्यालय, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक

ज्ञापांक 1056 / दिनांक 21/05/2019  
01/उ0नि0/विविध/कार्य आवंटन-83/2001

प्रतिलिपि: सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, ह0रे0ह0, निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, उद्योग के गोपनीय कोषांग/सभी उप उद्योग निदेशक/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी कार्यवाहक सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री प्रवीण कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को निदेशित है कि इसे विभागीय एवं अन्य वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

  
उद्योग निदेशक